न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 97/2024 **दायर दिनांकः 11.07.2024**

उनवान

1. राधाकुमारी पुत्री उदालाल जाति दांगी नि. सिलोरी तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वकील प्रार्थी :– श्री मसूद अहमद खान
अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 13.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 ग्राम सिलोरी पटवार हल्का खरपाकलां भू०अभि०नि० खारपाकलां तह० पिड़ावा में नई खाता संख्या 22 व पुरानी खाता संख्या 20 की आराजी खसरा नं. 340 रकबा 0.1391 है०, खसरा नं. 344 रकबा 1.0749 है०, खसरा नं. 411/342 रकबा 1.3026 है०, खसरा नं. 412/343 रकबा 0.1012 है०, खसरा नं. 52 रकबा 0.5691 है। कुल किता 5 कुल रकबा 3.1869 है० स्थित है जो प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी में है। जिसमें प्रार्थीया का 1/15 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबंदी 2073 से 2076 संलग्न है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया का सही नाम राधा कुमारी पुत्री उदालाल दांगी निवासी सिलारी तह० पिड़ावा है मगर प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड यानि जमाबंदी में प्रार्थीया का गलत नाम भूरा पुत्री उदालाल दांगी दर्ज चला आ रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है त्रुटिपूर्ण अंकन किस प्रकार से और कैसे चला आ रहा है इसकी जानकारी प्रार्थीया को नहीं है। यह अंकन गलत दर्ज किया हुआ है। गलत नाम दर्ज होने की वजह से प्रार्थीया को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में गलत नाम दर्ज होने की वजह से प्रार्थीया को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड यानि जमाबंदी में अपने गलत नाम भूरा पुत्री उदालाल दांगी के स्थान पर अपना सही नाम राधा कुमारी पुत्री उदालाल दांगी दर्ज करवाने का पूरा अधिकार रखती है। वो समस्त दस्तावेजात जिनमें प्रार्थीया का सही नाम राधा कुमारी पुत्री उदालाल दांगी निवासी सिलोरी लिखा हुआ है जो सही है। आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक परिक्षा 2020 अंक तालिका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान उच्च माध्यमिक परिक्षा 2022 अंक–तालिका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) कक्षा 1–7, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक खाता डायरी की फॉटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के संलग्न है। प्रार्थीया ने अपना सही नाम राधा कुमारी दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपना गलत नाम भूरा पुत्री उदालाल के स्थान पर अपना सही नाम राधा कुमारी पुत्री उदालाल दांगी दर्ज कराने का आग्रह किया तो उन्होने माननीय न्यायालय से आदेश लाने का परामर्श दिया। अतः प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी यानी तहसीलदर साहब पिड़ावा के नाम आदेश प्रदान किया जाये कि वो प्रार्थीया के गलत नाम के चेले आ रहे त्रुटी पूर्ण अंकन भूरा पुत्री उदालाल को दुरुस्त कर ग्राम सिलोरी पटवार हल्का खरपाकलां भू०अभि०नि० खारपाकलां तह० पिड़ावा में नई खाता संख्या 22 व पुरानी खाता संख्या 20 की आराजी खसरा नं. 340 रकबा 0.1391 है०, खसरा नं. 344 रकबा 1. 0749 है०, खसरा नं. 411/342 रकबा 1.3026 है0, खसरा नं. 412/343 रकबा 0. 1012 है०, खसरा नं. 52 रकबा 0.5691 है० कुल किता 5 कुल रकबा 3.1869 है0 आराजी में प्रार्थीया का सही नाम राधा कुमारी पुत्री उदालाल दांगी दर्ज किये जाने की कृपा की जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार ... तलबी जय सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित ... सरकार द्वारा जवाब

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ...

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/1211 दिनांक 15.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि खातेदार पूरा पुत्री उदालाल जाति दांगी निवासी सिलोरी के खाता न० 22 किता 5 रकबा 3.1869 हे० में हिस्सा 1/15 के खाते दर्ज हैं प्रार्थी अपना नाम भूरा पिता उदालाल के स्थान पर राधाकुमारी पुत्री उदालाल शुद्ध करवाना चाहती है। प्रार्थी का नाम फोती नामा० स० 710 से भूरा पुत्री उदालाल दर्ज हुआ हैं प्रार्थी अपना नाम भूरा पुत्री उदालाल के स्थान पर राधाकुमारी पुत्री उदालाल करवाना चाहती हैं प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र टी०सी० मार्कसीट राशनकार्ड बैंक पासबुक में राधाकुमारी पुत्री उदालाल दर्ज है ग्रामवासियो से प्राप्त सूचना अनुसार भूरा पुत्री उदालाल एवं राधाकुमारी पुत्री उदालाल एक ही महिला हैं। अतः न्यायालय के निर्णय हेतु रिर्पोट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेर्षित हैं।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सिलोरी की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 22 की नकल, आधारकार्ड (936630881415), मूल निवासी प्रमाण पत्र, अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 वी व 12 वी की अंकतालिका, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, बैंक ऑफ बडौदा की खाता पासबुक, अयोध्याबाई का आधारकार्ड (700651353730) की छायाप्रतियां पेश की।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का खारपाकलां की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2024, ग्राम सिलोरी का नामा.सं. 710 दिनांक 08.10.2022, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 वी व 12 वी की अंकतालिका, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, बैंक ऑफ बडौदा की खाता पासबुक, परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड (936630881415) की छायाप्रतियां पेश की।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिलोरी के खाता सं. 22 किता 5 कुल रकबा 3.1869 है० में प्रार्थीया का 1/15 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का गलत नाम भूरा पुत्री उदालाल दांगी दर्ज चला आ रहा है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 16:22:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

त्रुटिपूर्ण अंकन की वजह से प्रार्थीया को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीया को किसी भी प्रकार योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। जिस कारण प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपने गलत नाम भूरा पुत्री उदालाल दांगी के स्थान पर अपना सही नाम राधा कुमारी पुत्री उदालाल दांगी दर्ज करवाने का पूरा अधिकार रखती है। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि प्रार्थीया के सभी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक परिक्षा 2020 अंक तालिका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान उच्च माध्यमिक परिक्षा 2022 अंक–तालिका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) कक्षा 1–7, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक खाता डायरी में प्रार्थीया का सही नाम राधा कुमारी पुत्री उदालाल दांगी निवासी सिलोरी लिखा हुआ है परन्तु ग्राम सिलोरी के राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 22 कुल किता 5 कुल रकबा 3.1869 है0 आराजी में दर्ज चले आ रहे त्रुटी पूर्ण अंकन भूरा पुत्री उदालाल को दुरुस्त कर प्रार्थीया का सही नाम राधा कुमारी पुत्री उदालाल दांगी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिलोरी के खाता न० 22 किता 5 रकबा 3.1869 हे० में फोती नामा० स० 710 से प्रार्थीया का नाम भूरा पुत्री उदालाल दर्ज हुआ हैं परन्तु प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, टी०सी०, मार्कसीट, राशनकार्ड, बैंक पासबुक आदि में राधाकुमारी पुत्री उदालाल दर्ज है। ग्रामवासियों से प्राप्त सूचना अनुसार भूरा पुत्री उदालाल एवं राधाकुमारी पुत्री उदालाल एक ही महिला हैं जिससे जमाबंदी में गलत अंकन को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है।

7. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सिलोरी खाता संख्या 22 किता 5 कुल रकबा 3.1869 है० भूमि में खातेदार उदालाल के दर्ज किये गये फोती नामा.सं. 710 दिनांक 08.10.2022 में प्रार्थीया का नाम भूरा पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 16:22:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

उदालाल अंकित है जबकि प्रार्थीया के आधारकार्ड (936630881415), मूल निवासी प्रमाण पत्र, अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 वी व 12 वी की अंकतालिका, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, बैंक ऑफ बडौदा की खाता पासबुक आदि में प्रार्थीया का नाम राधाकुमारी पि. उदालाल दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सिलोरी के खाता संख्या 22 किता 5 कुल रकबा 3.1869 है० कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम सिलोरी के खाता संख्या 22 किता 5 कुल रकबा 3.1869 है० में प्रार्थीया का नाम भूरा पि. उदालाल के स्थान पर राधाकुमारी उर्फ भूरा पि. उदालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/24

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner